



**बिहार सरकार**  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)  
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार  
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014  
संख्या- FC/85/2021-639

प्रेषक,

**अरविन्दर सिंह, भाववसे,**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक-13/07/2022

**विषय-** श्रीमती मीना शर्मा द्वारा गया जिलान्तर्गत ईरु मौजा के खाता संख्या-81, प्लॉट संख्या-825, 826, थाना संख्या-617, थाना-वजीरगंज में NH-82 गया-वजीरगंज पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01125 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

**प्रसंग-** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/144161/2021/164, दिनांक 22.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 06.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है-

| क्र० सं० | भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 22.03.2022 में निहित कंडिका                                                                                                                                                                                        | अनुपालन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A:       | Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal. | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 7,71,390.00 (रु० सात लाख इकहत्तर हजार तीन सौ नब्बे) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 1506270144161486, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.07.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. HDFCR52022070580037621 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। |



|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                               | The State Government shall charge the Net-Present Value (NPV) for the 0.01125 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated .....    | NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.01125 अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 10,775/- (दस हजार सात सौ पचहत्तर रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 1506270144161486, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.07.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. HDFCR52022070580037621 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। |
| 3                                                                                                                                                                                                                                               | All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-portal .....                                                                                     | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.07.2022 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                               | The FRA, 2006 certificate as per ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the ..... | जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                               | Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 .....                                                                                                                     | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                               | The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> )                                                                                                      | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:</b> |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                               | Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.                                                                                                                                                 | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                               | The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall be identified by the State .....                                                  | 100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यों को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                               | Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble .....                                                                                             | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                               | The approach road to petrol pump/fuel station should be as per .....                                                                                                                                                       | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a                                                                                                                                                                                                                                               | Fuel station should generally be part of rest area complex having other amenities like place .....                                                                                                                         | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|       |                                                                                                                                             |                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| b     | Suitable signs and markings showing the location of the fuel .....                                                                          | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| c     | Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an .....       | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| d     | Suitable plantations should be raised by the user agency along the approach road, separator .....                                           | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| 5     | Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall in consultation with SFD undertake appropriate .....                      | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| 6     | The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not damage the nearby forest flora and fauna. | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| 7     | The lay out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Central Government.                                     | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| 8 (a) | The forest land shall not be used for any purpose other than .....                                                                          | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| (b)   | The period of diversion under this approval shall be .....                                                                                  | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| (c)   | The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be .....                                                               | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| 9     | Any other conditions that the Ministry of Environment, .....                                                                                | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01125 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।



ज्ञांपांक— FC/85/2021-639

दिनांक—13/07/2022

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, गया अंचल, गया / वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया एवं श्रीमती मीना शर्मा, पति—स्व. श्रवण कुमार, ग्राम—लक्खीबाग मानपुर, बुनियादगंज, जिला—गया, पिन—823003 को सूचना हेतु प्रेषित।

  
13/7/22

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

## Proforma

|    |                                                                                                   |                                                                              |             |                        |                   |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|------|
| 1  | Name of Regional Office                                                                           | Eastern Region, Ranchi                                                       |             |                        |                   |      |
| 2  | State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates                                       | Bihar/Gaya/ Gaya Forest Division, Gaya.                                      |             |                        |                   |      |
| 3  | Name of User Agency nature of proposal                                                            | Smt. Mina Sharma /IOCL Retail Outlet                                         |             |                        |                   |      |
| 4  | Extent of forest area involved                                                                    | 0.01125 Ha.                                                                  |             |                        |                   |      |
| 5  | Whether Original, or extension                                                                    | Original                                                                     |             |                        |                   |      |
| 6  | If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify | -NA-                                                                         |             |                        |                   |      |
| 7  | Date of 1st stage Clearance                                                                       | 22.03.2022                                                                   |             |                        |                   |      |
| 8  | <b>Extent of CAMPA charges head wise viz.</b>                                                     |                                                                              |             |                        |                   |      |
|    | a.Compensatory Afforestation                                                                      | 7,71,390.00                                                                  |             |                        |                   |      |
|    | b. Additional CA                                                                                  | -NA-                                                                         |             |                        |                   |      |
|    | C. Penal CA                                                                                       | -NA-                                                                         |             |                        |                   |      |
|    | d. Catchment Area Treatment                                                                       | -NA-                                                                         |             |                        |                   |      |
|    | e. Wildlife Management Plan                                                                       | -NA-                                                                         |             |                        |                   |      |
|    | f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas                | -NA-                                                                         |             |                        |                   |      |
|    | g. Net present Value                                                                              | 10,775.00                                                                    |             |                        |                   |      |
|    | h. Any other charges/Levies (Pl Specify)                                                          | -NA-                                                                         |             |                        |                   |      |
| 9  | Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph                          | S.No                                                                         | MODE Remtt. | UTR No. & Date         | Amount            | Head |
|    |                                                                                                   | 1                                                                            | e-          | HDFCR52022070580037621 | 10,775/-          | NPV  |
|    |                                                                                                   | 2                                                                            | challan     | dt. 05.07.2022         | 7,71,390/-        | CA   |
|    |                                                                                                   | <b>Total-</b>                                                                |             |                        | <b>7,82,165/-</b> |      |
|    |                                                                                                   |                                                                              |             |                        |                   |      |
| 10 | Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance                            | As above.                                                                    |             |                        |                   |      |
| 11 | Bank in which deposited, with date of deposition.                                                 | All above e-challan sent to Union Bank of India, New Delhi on dt. 05.07.2022 |             |                        |                   |      |
| 12 | Any other remarks                                                                                 |                                                                              |             |                        |                   |      |

  
**(Arvinder Singh)**  
 Signature of APCCF (CAMPA)-  
 cum-Nodal Officer (FC), Bihar.



सेवा में,



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

दिनांक- 6-7-2022

विषय— श्रीमती मीना शर्मा द्वारा गया जिलान्तर्गत ईरु मौजा के खाता संख्या-81, प्लॉट संख्या-825, 826, थाना संख्या-617, थाना-वजीरगंज में NH-82 गया-वजीरगंज पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01125 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक 582, दिनांक 30.06.2022,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/144161/2021/164, दिनांक 22.03.2022 द्वारा दो भागों में (A में 1-6 शर्त एवं B में 1-9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रही हूँ—

**भाग-A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.**

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 7,71,390.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270144161486, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.07.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- HDFCR52022070580037621 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा 0.01125 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 10,775/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270144161486, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.07.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- HDFCR52022070580037621 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, New Delhi के खाता में दिनांक 05.07.2022 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र पूर्व में विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।



भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage - II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगी।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

मीना शर्मा

(मीना शर्मा)

पति-स्व. श्रवण कुमार,

ग्राम-लक्खीबाग मानपुर, बुनियादगंज,

जिला-गया, पिन-823003

## AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEW WEBSITE: [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in) A Government of India Enterprise



आंध्र प्रदेश  
Andhra Pradesh



एन सी सी  
National Small Finance Corporation

## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-07-2022

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Agency Name.     | MINA SHARMA                                   |
| Application No.  | 70144161486                                   |
| MoEF/SG File No. | FP/BR/APPROACH/144161/2021                    |
| Location.        | BIHAR                                         |
| Address.         | Village-Lakhibag Manpur,<br>Buniyadganj, Gaya |
| Amount(in Rs)    | 782165/-                                      |

Amount in Words : Seven Lakh Eighty-Two Thousand One Hundred and Sixty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiary Name:    | BIHAR CAMPA                                                                                                         |
| IFSC Code:           | UBIN0996335                                                                                                         |
| Pay to Account No.   | 1506270144161486<br>Valid only for this challan amount.                                                             |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India<br>Lodhi Complex Branch,<br>Block 11, EGO Complex,<br>Phase 1, Lodhi Road, New<br>Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may Email: [helpdeskcampa@corpbank.co.in](mailto:helpdeskcampa@corpbank.co.in)

Note: After making the required payment through cha even after 7 working days, then kindly mail a copy of Email: [cb0371@unionbankofindia.com](mailto:cb0371@unionbankofindia.com)

HDFC RS2022070580037621





कार्यालय, जिला पदाधिकारी, गया के तहत रैखिक परियोजना निर्माण

हेतु FRA, 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या.....2052..... दिनांक.....03-06-2022

वन प्रमण्डल पदाधिकारी का पत्र सं० 4225 दिनांक 15.09.2021 द्वारा गया जिला अन्तर्गत अंचल-वजीरगंज में मौजा-एरू, थाना-वजीरगंज, खाता सं०-81, प्लॉट सं०-825 एवं 826 में गया-वजीरगंज-हिसुआ-नवादा पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु 0.01125 हेक्टर भूमि पर अपव्योजन (Diversion) के क्रम अनुशंसा किया गया है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर गया का पत्र सं 428/भू०सु० दिनांक 16.04.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपर्युक्त वर्णित परियोजना क्षेत्र में अंचल-वजीरगंज में मौजा-एरू, थाना-वजीरगंज, खाता सं०-81, प्लॉट सं०-825 एवं 826 में गया-वजीरगंज-हिसुआ-नवादा पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु 0.01125 हेक्टर भूमि पर वर्ष 2001 एवं 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति नहीं है।

प्राप्त अनुशंसा एवं जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

जिला पदाधिकारी  
गया।

**OR**

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13<sup>th</sup> day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and Census-2011.

District Magistrate  
Gaya